<u>कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।</u>

दिनॉक 29.06.2020

आदेश

(संख्या :– 247 /2020)

जनपद न्यायालय गाजियाबाद के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री राजेश कुमार, जो कि न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो, न्यायालय संख्या 02, गाजियाबाद में कार्यरत है, वह मुख्य चिकित्साधिकारी गाजियाबाद के पत्र सॅख्या मु0चि0अ0/कोविड–19/2020/636 दिनॉकित 29.06.2020 के अनुसार कोरोना वायरस धनात्मक पाये गये है। मुख्य चिकित्साधिकारी गाजियाबाद के उपरोक्त वर्णित पत्र के अनुसार सम्पूर्ण जनपद न्यायालय परिसर को आगामी 24 घण्टे तक सील करते हुए विसंक्रमण का कार्य किया जायेगा। जिस कारण दिनॉक 30.06.2020 को न्यायिक कार्य सम्भव नही है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 1117/LXXXVII-CPC/e Courts/ Allahabad Dated 03-06-2020 के बिन्दु संख्या 14 एवं 15 में निर्देशित किया गया है कि –

14– " Wherever any Court campus is covered under the containment Zone, such Court shall remain closed as per the resolutions of this Court dated 02-05-2020 read with the resolution of this Court dated 25-03-2020, till such time the concerned District Court or Outlying court continues to remain in Containment Zone. Thereafter, the present scheme shall apply. Necessary reports in this regard, be obtained by the District Judges from the District Administration, on regular basis.

15– " Where the District Administration/ CMO concerned is of the opinion that the District/ Outlying court campus should be closed for a particular period and / or the District Judge is of the opinion that the District Court/ Outlying court should be closed for particular period, then the District Court / Outlying Court may be closed for the said period and intimation mentioning the specific reason may be sent to Allahabad High Court."

तदनुसार जिला प्रशासन/मुख्य चिकित्साधिकारी की आख्या दिनॉकित 29.06.2020 के अनुसार जनपद न्यायालय परिक्षेत्र को विसंक्रमण हेतु आगामी 24 घण्टे के लिए बन्द किया जाता है परिणाम स्वरूप 30-6-2020 को जनपद न्यायालय बन्द रहेगा

न्यायालय परिसर के सम्पूर्ण सेनेटाईज हो जाने के उपरान्त एवं इस सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी नजारत जनपद न्यायालय गाजियाबाद की सेनेटाइज पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त आख्या के बाद जनपद न्यायालय खोला जायेगा।

जिलाधिकारी गाजियाबाद, मुख्य चिकित्साधिकारी गाजियाबाद एवं नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद को सम्पूर्ण न्यायालय परिसर, न्यायालय भवनों, अधिवक्तागण के चैम्बर्स से सम्बन्धित सभी परिसर एवं न्यायिक अधिकारीगण के माडल टाउन स्थित शासकीय आवासों की पूर्णतया साफ–सफाई, सेनेटाईजेशन हेतु अलग से पत्र प्रेषित किया जाये। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सूचना प्रेषित की जावे।

सभी सम्बन्धित सूचित हो।

29-6-2020

जनपद न्यायाधीश
गाजियाबाद।
District Judge
Ghaziabad